



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 14 जून, 2021
ज्येष्ठ 24, 1943 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग-3

संख्या 991/33-3-2021-255-2002टी0सी0

लखनऊ, 14 जून, 2021

अधिसूचना

प0आ0-65

भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट के खण्ड (1) और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 33 सन् 1961) की धारा 264-ख की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों के सामान्य निर्वाचन, 2021 हेतु 15 जून, 2021 से 03 जुलाई, 2021 तक के लिये दिनांक नियत करती हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 991/XXXIII-3-2021-255-2002T.C., dated June 14, 2021 for general information:

No. 991/XXXIII-3-2021-255-2002T.C.

Dated Lucknow, June 14, 2021

In exercise of the powers under clause (1) of Article 243-K of the Constitution of India and sub-section (3) of section 264-B of the Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Zila Panchayat Act, 1961 (U. P. Act no. 33 of 1961), the Governor, in consultation with the State Election Commission, is pleased to appoint June 15, 2021 to July 03, 2021 as the dates for the general election, 2021 of the offices of Zila Panchayats Adhayaksha in the State.

By the order of the Governor,
MANOJ KUMAR SINGH,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 65 राजपत्र-2021-(119)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० पंचायती राज-2021-(120)-100+6 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।